न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया
आई0ए0एस0
राजस्व अपील सं0 139/2019

Web Copy - Not Official

1. रमेशचंद झाला पुत्र श्री भगवानसहाय झाला जाति ब्राह्मण निवासी व्यास मौहल्ला दौसा तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 17.05.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रमेशचंद मु0नं0 271/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक:17.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने दिनाक 17.05.2019 को ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा के राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 3178 रकबा 6 वर्गमीटर पर पक्की दीवार बनाकर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि साबिक खसरा नं0 1245 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम दौसा कलां की भूमि पर अपीलांट के पिता भगवान सहाय झाला पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। किन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा भू प्रबंध के दौरान अवैध तरीके से उक्त भूमि का रकबा कम कर पडौसी खातेदार रामनाथ व कन्हैया माली के नाम दर्ज कर दी थी तथा वर्तमान खसरा नं0 3178 रकबा 0.07है0 भूमि जो पूर्व में भगवान सहाय झाला की खातेदारी का निजी रास्ता था, को भी रामनाथ व कन्हैया माली के नाम दर्ज कर दिया था। जिस बाबत अपीलांट के पिता भगवानसहाय द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा मे वर्ष 1991 मे वाद बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 18.04.1995 को वाद डिक्री कर भूमि खसरा नं0 3178

रकबा 0.07 है0 भगवानसहाय की खातेदारी में निजी रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की पालना मे भूमि भगवानसहाय के खाते में दर्ज हुई थी तथा भगवानसहाय द्वारा ही उक्त भूमि पर पुख्ता दीवार बनाई गई थी। न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित डिक्री दिनांक 18.04.1995 के विरूद्ध रामप्यारी वगै0 द्वारा बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमे निर्णय दिनांक 17.01.2019 को आदेश पारित किया कि उक्त भूमि को राज्य सरकार के खाते मे दर्ज किया जावें। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 485/2019 उनवानी रमेश चंद झाला बनाम रामप्यारी वगै0 प्रस्तुत की गई। जिसमे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बैंच द्वारा एडमिशन पर सुनवाई कर दिनांक 28.01.2019 को रिकॉर्ड तलब करने के आदेश परित किये गये। विवादित आराजी खसरा नं0 3178 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम दौसा कलां अपीलांट बजमाने बुर्जगान काबिज है। अपीलांट के पिता द्वारा वर्ष 1995 मे पुख्ता दीवार खडी कर रखी थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज है एवं कोई नया निर्माण नहीं किया गया फिर भी पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष पेश की गई। न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा भी बिना पटवारी से जिरह करने का मौका दिये पूर्ण सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 17.05.2019 को निरस्त फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट दिनांक 26.03.2019 व 18.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नं0 3178 के पश्चिमी हिस्से पर लगभग 4 मीटर लंबी व 1.5मीटर उंची पुख्ता दीवार बना रखी हैं। जिससे आगे का सम्पूर्ण रास्ता बाधित हो रहा है। अतिक्रमी को कोई राहत न दी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नं0 3178 के पश्चिमी हिस्से पर लगभग 4 मीटर लंबी व 1.5मीटर उंची पुख्ता दीवार बना रखी हैं। जिससे आगे का सम्पूर्ण रास्ता बाधित हो रहा है। परंतु अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे विचाराधीन उनवानी रमेश चंद झाला बनाम रामप्यारी वगै0 अपील संख्या 485/2019 लंबित है, जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.03.2021 नियत है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर में अपीलांट की अपील विचाराधीन होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.05.2019 को निरस्त किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा जिला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील को मध्यनजर रखते हुए पुनः युक्तियुक्त निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official